प्रेषक,

वित्त नियंत्रक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

**पत्रांक : डिग्री बजट/ 4731 / 2018-19 दिनांक : 02-01-2019**

**विषय : प्रदेश के राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय अवशेष वेतन भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट आवंटन के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष **2018-19** में आपके महाविद्यालय में कार्यरत **शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अवशेष** के भुगतान हेतु प्राप्त मांग पत्र के आधार पर संलग्न एलाटमेण्ट ग्रिड रिपोर्ट के अनुसार मानक मद **52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)** में बजट आवंटित किया जा रहा है। आवंटित की जा रही धनराशि से मात्र शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग के आधार पुनरीक्षित वेतनमान के अवशेष का ही भुगतान किया जायेगा तथा किसी भी दशा में आवंटित धनराशि से अधिक व्यय न किया जाय, अन्यथा उसके लिए आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

2. इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।

3. आवंटित धनराशि का नियमानुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित करें तथा व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र (बी0एम0–4) पर अगले माह की पहली तारीख तक इस कार्यालय को डाक/ई–मेल (fcbudget@dheup.com) से अवश्य भेज दें, जिससे व्यय विवरण इस कार्यालय में अगले माह की पांच तारीख तक अवश्य प्राप्त हो जाय तथा लेखे का मिलान महालेखाकार कार्यालय से किया जा सके। यदि किसी महाविद्यालय से उक्त व्यय विवरण इस कार्यालय को प्राप्त नहीं होगा तो सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

4. आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या–73 के लेखाशीर्षक ''2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–103–राजकीय कालेज तथा संस्थान–03–राजकीय उपाधि महाविद्यालय–**52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)**'' के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस लेखा शीर्षक का डिजिट कोड निम्नलिखित है :–

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 |

5. राजाज्ञा संख्या : बी–1–1195/दस–16/94 दिनांक 6 जून, 1994 में दिये गये निर्देशों के अनुसार आवंटित की जा रही धनराशि की प्रविष्टि अनुदान संख्या–73 के लिए अनुरक्षित केन्द्रीय पंजिका के पृष्ठ–**12** के क्रमांक **(23)** पर कर ली गयी है।

**संलग्नक : एलाटमेण्ट ग्रिड रिपोर्ट**

भवदीय,

(अरूण कुमार सिंह)
**वित्त नियंत्रक**

**पृष्ठांकन संख्या : डिग्री बजट/ / दिनांक : 02-01-2019**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद को इस आशय से प्रेषित कि आवंटित धनराशि से मात्र राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सातवें वेतनमान के वेतन निर्धारण फलस्वरूप देय अवशेष का ही भुगतान करें, अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान कदापि न करें।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(अरूण कुमार सिंह)
**वित्त नियंत्रक**